

रीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


राजस्व आवेदन-123/2025
अनवान सादुलाराम बनाम कुमाराम वगैरा

नम्बर व ताराख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

17.12.2025

प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओ पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेतों की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत् नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।


उपसम्भ अधिकारी, बायतु
जिला - बालोपरा



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बालोतरा

क्रमांक : रा.आ./2025/734

दिनांक : 17/12/25

प्रार्थी
सादुलाराम पुत्र चिमाराम जाति जाट
निवासी देरामोणी पोटलियो की ढाणी,
बायतु चिमनजी, तहसील बायतु, जिला
बालोतरा।

बनाम

विप्रार्थी
कुम्भाराम पुत्र देदाराम जाति जाट निवासी
देरामोणी पोटलियो की ढाणी, बायतु
चिमनजी, तहसील बायतु, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 123/2025

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा देरामोणी पोटलियो की ढाणी पटवार हल्का बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर कमश: 700, 701, 739 रकबा कमश: 0.0162, 5.4527, 5.9462 हैक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है, एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 1000/-जमा करा कर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : रा.आ./2025/735-740

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. भु-अभिलेख निरक्षक बायतु भोपजी।
3. पटवार हल्का बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बालोतरा को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी सादुलाराम पुत्र चिमाराम वगैरा 02
5. विप्रार्थी कुम्भाराम पुत्र देदाराम वगैरा 41
6. पुलिस थानाधिकारी बायतु।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 17/12/25

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला बालोतरा